न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 192/2011

सायलान :-

1. पारसमल पुत्र डगरूराम
   जाति-हरीजन, निवासी-मोहराई,
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

गैरसायलान :-

1. कैलाशचन्द्र पुत्र हापू
2. देवाराम पुत्र हापू
   जातियान - भंगी (हरीजन),
   निवासीगण - मोहराई
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)
3. तहसीलदार, जैतारण
   लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा हस्ब दफा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.13.03.2013**

उपस्थितः- 1. श्री देवेन्द्रसिंह राठौड, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री रामस्वरुप चौधरी, अधिवक्ता, गैरसायलान।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 10/06/2015**

वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा हस्ब दफा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-आसरलाई, पटवार हल्का-आसरलाई, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में सायल एवं गैरसायलान संख्या 01 से 12 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नंबर 1564 रकबा 45 बीघा 4 बिस्वा की आई हुई हैं। जिसमें अपने अपने हिस्से पर सायल एवं गैरसायलान शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। उक्त कृषि भूमि में सायल एवं गैरसायलान सख्या 01 व 02 का 2/12 हिस्सा आया हुआ हैं। वक्त सैटलमेन्ट के समय सायल के बडे भाई हापूराम पुत्र डगरुराम के नाम का पर्चा आया था, कारण कि सायल के पिता डगरु का उस समय स्वर्गवास हो चुका था व हिन्दू रिति रिवाज के अनुसार घर का मुखिया बडा भाई हापूराम ही था। सायल व सायल से छोटा भाई नृसिंहमल नाबालिग थे। वंशावली अनुसार मूल पुरूष डगरू के वारिसान हापूराम (फौत), पारसमल व नृसिंहमल हैं। हापूराम (फौत) की पत्नि ग्यारसी (फौत) एवं पुत्रगण कैलाशचन्द्र व देवाराम हैं। उक्त वंशावली अनुसार पारसमल, नरसिंहमल व हापूराम संयुक्त हिन्दू परिवार के रुप में रहते थे और पारसमल और नृसिंहलाल के विवाह होने के पश्चात् काफी वर्षो के संयुक्त हिन्दू परिवार के ही सदस्य के रूप में रहते थे। जिनके परिवार का मुखिया बडा भाई हापूराम ही था। हापूराम ने अपने जीवनकाल में ही परिवार की चल व अचल संपति का बंटवाडा संवत 2038 रा मिति फागून बदी 10 बृहस्पतिवार तारीख 18/02/1982 को कर दिया। जिसकी लिखत आपसी ईकरारनामा की फोटो प्रति दावे के साथ पेश की हैं। जिसमें स्वर्गीय हापूराम ने लिख दिया कि आसरलाई की सरहद में जो खेत हैं। वह हम तीनों भाईयों में शामलाति का हैं और राजस्व रेकर्ड में तीनों भाईयों का नाम दर्ज करा देगें। जिसका खर्चा तीनो भाईयो का बराबर रहेगा। मगर सभी भाई अपने अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे हैं व कानून की जानकारी नहीं होने के कारण राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं करा पायें और अक्समात हापूराम का देहान्त हो गया। जिसका फौतदेगी म्यूटेशन गैरसायलान संख्या 01 व 02 के नाम व हापूराम की पत्नी ग्यारसी देवी के नाम जरिये उत्तराधिकार के दर्ज किया गया। ग्यारसीदेवी की भी मुत्यु हो चुकी हैं। मगर जमाबंदी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

में अभी तक उसका नाम चला आ रहा हैं, जिस कारण उसे गैरसायलान नही बनाया गया हैं। सायल ने गैरसायलान संख्या 01 व 02 को कई बार कहा कि मेरे साथ तहसील में चलो व मेरा भी खसरा नंबर 1564 में जो सरहद मौजा आसरलाई में है, जिसमें मेरा व कैलाश का नाम जरिये रजिस्ट्री दर्ज करावें, जिससे कि 2/12 हिस्से में 1/3,1/3,1/3 हिस्से में तीनो भाईयो का सभी का हिस्सा खुल जावें। जिससे अपने-अपने हिस्से में ऋण आदि लेने में सुविधा होवें। मगर गैरसायलान संख्या 01 व 02 कुछ न कुछ समय अभाव का बहाना बनाकर इस कार्य को टालते रहे और सायल को कहते रहे कि आप अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हो, नाम डालने में क्या धरा हैं। गैरसायलान को कई बार कहने पर भी रूचि नहीं दिखाई, जिससे सायल को लगा कि गैरसायलान संख्या 01 व 02 की नियत में खोट हैं, जिस पर सायल ने समाज के मौजिज शख्सों व मौजिज पंचो को व गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाकर उनको गैरसायलान संख्या 01 व 02 को समझाने को कहा, तब दिनांक 01/06/2008 को सभी पंचो के समक्ष नृसिंहलाल पुत्र डगरुराम व कैलाशचन्द्र पुत्र हापूराम ने पुनः पारिवारिक संपति व चल व अचल संपति का ईकरारनामा लिखा, जिसमें साफ लिखा है कि मोडकी वाला खेत खसरा नंबर 1564 सरहद-आसरलाई में आया हुआ हैं। उस खेत का पट्टा डगरुराम की मृत्यु होने के कारण उस खेत का पट्टा हापूराम के नाम का करवाया था। पारसमल व नृसिंहलाल दोनो नाबालिग होने के कारण पट्टे में नाम नहीं लिखा गया। खेत का 2/12 हिस्से में तीनो भाईयो का बंटवाडा किया हुआ हैं और तीनो भाई अपने-अपने हिस्से पर पिछले 25 वर्षो से फसल बोते आ रहे हैं। जिसकी लिखापढी की फोटो प्रति और वर्तमान में चालू जमाबंदी की नकल व नक्शा ट्रेश की नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं। वर्तमान में जमीनों के भाव आसमान छूने लगे होने के कारण गैरसायलान संख्या 01 व 02 की नियत बिगड़ती जा रही हैं और सायल का उक्त जमीन में नाम डलवाने का कार्य टालते रहते हैं। दिनांक 08/10/2011 को सायल ने गैरसायलान संख्या 01 व 02 को कहा कि रजिस्ट्री खर्चा मै वहन कर लूँगा। और मेरे साथ चलकर खसरा नंबर 1564 के 2/12 हिस्से में 1/3 हिस्से की जमीन की रजिस्ट्री मेरे नाम करा दो, तब गैरसायलान संख्या 01 व 02 ने स्पष्ट मना कर दिया कि सेटलमेन्ट के समय से ही हमारे पिता के नाम चली आ रही हैं। इतने दिन आपने फसल बोई जो भी बहुत हैं। आपका वहां पर कोई हिस्सा नहीं हैं, जिस कारण सायल को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। सायल अभी दिनांक 12/10/2011 को खेत में अपने हिस्से में जो बुवाई की थी। उसे काट रहा था। तब गैरसायलान संख्या 01 व 02 भी खेत में आये व उनके साथ दो अजनबी व्यक्ति थे, जिनको सायल ने पूछा कि कैसे आये, तब उन्होने कहा कि देवाराम व कैलाशचंद यह खेत हमे बेच रहे हैं। इसलिये देखने को आये हैं, जिससे सायल को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना अति आवश्यक हुआ, जो अन्दर म्याद प्रस्तुत हैं। समस्त तथ्यों, परिस्थतियों व दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर व मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर सायल का प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी सायल के पक्ष में प्रमाणित हैं। यदि गैरसायलान जबरदस्ती सायल के हक हिस्से की भूमि में जबरदस्ती दखलदांजी व हस्तक्षेप करते हैं या सायल को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर देते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी एवं होने वाली क्षति का मूल्याकंन मुद्रा में नही आंका जा सकता हैं। इसलिये सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में प्रमाणित हैं। इसलिये यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया हैं।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायल को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। गै0सा0 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र मय फहरिश्त दस्तावेज पेश किये, सामिल मिसल किये गये। वकील सायल ने विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसकी प्रति वकील गै0सा0 को दिलाई गई। वकील गै0सा0 जबाब दरख्वास्त पेश नहीं करना

उपखण्ड-अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

चाहने पर जबाब दरख्वास्त बन्द किया गया। बहस वकुलाय सुनी गई। वकील सायल ने जाहिर किया कि उक्त भूमि पर खन्दक लगी तथा सायल का कब्जा हैं एवं गै0सा0 जबरन खेत में घुसकर खन्दक तोड़ने व जबरन कब्जा काश्त करना चाहते हैं। इसलिए कब्जे काश्त की जांच करवाई जाकर मौका की मौका कमीश्नर रिपोर्ट मंगवाई जाने की ईश्तदुआ की हैं। बहस पर गौर कर प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण हेतु नायब तहसीलदार, जैतारण को मौका कमीश्नर 500/- रू0 फीस पर नियुक्त किया गया व आदेश दिया गया कि बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षों के मौका कमीश्नर रिपोर्ट पेश करें। नायब तहसीलदार, जैतारण द्वारा मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 18/12/2013 को प्रस्तुत की, जो पत्रावलीबद्ध हैं। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र मुकर्रर हुई।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-आसरलाई में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वकील उपस्थित बहस वकुलाय सुनी गई। बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 18/12/2013 पर गौर किया गया। दिनांक 08/11/2011 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होकर गै0सा0 को विवादित कृषि भूमि की वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् तथा उक्त विवादित भूमि को अन्य किसी को बेचान रहन अन्य हस्तान्तरण आदि करने से पाबन्द किया गया था। अतः मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 18/12/2013 के अनुसार सायल के हिस्से एवं कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से वाद के निर्णय तक गै0सा0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा-आसरलाई, पटवार हल्का-आसरलाई, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में सायल एवं गैरसायलान संख्या 01 से 12 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नंबर 1564 रकबा 45 बीघा 4 बिस्वा भूमि में मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 18/12/2013 के अनुसार सायल के हिस्से एवं कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु वाद के निर्णय तक गै0सा0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण (पाली)
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 10/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-आसरलाई पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण (पाली)
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner